37 रामजीलाल उर्फ पप्पू पुत्र मेवाराम
38 शंकर पुत्र गिरधारी
39 राकेश पुत्र गिरधारी
40 मकुवार पुत्र प्रभात
41 गमकरण पुत्र मुरलीधर
समस्त व्यस्क, जाति गुर्जरान समस्त निवासीयान चेच्चायावाली ढाणी वार्ड नं0–2 शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री मंगल चन्द यादव, वादी की ओर से

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 8/5/2025

1 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यहकि हाल आराजी खसरा नं0–1424/1/0.10, 1438/0.25, 1439/0.14, 1442/0.23, 1455/0.25, 1458/0.26 1462/0.09, कुल किता–7 रकबा 1.32 है० वाकै ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका एक मात्र स्वामी काश्तकार व रिकार्डेड खातेदार वादी है जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 बहल्फ वाद पत्र संलग्न है।

2. यह है कि उपरोक्त आराजीयात वर्णित वाद पत्र की खण्ड सं0–1 जिसकी वर्तमान में खातेदारी काश्तकारी वादी तेजा पुत्र ग्यारसाके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त आराजीयात में वादी के खामघर बोरिंग बना हुआ है, जिसका उपयोग उपभोग वादी अपने खातेदारी हक हकूको के तहत सदैव से शांति पूर्वक तरीके से अपने परिवार सहित करता आ रहा है जिसमें बॉरिंग कनेक्शन भी लगा हुआ है। वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण या इन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध या अधिकार नहीं है।

3. यह है कि वादी एक मजदूरी पेशा व कृषक व्यक्ति है । वादी के पुत्र मजदूरी के सिलसिले में घर से बाहर रहते है व वादी व उसकी पत्नी ही उक्त आराजी मुतनाजा में खेती कर अपनी आजीविका चलाते है व वादी एक शांति प्रिय व कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति है प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है व धनबल के आधार पर आये दिन वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है व आये दिन वादी व उसके परिवारजन से सीव डौल को लेकर बेवजह विवाद करते है, जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

4. यहकि वादी आज से अर्सा 15 दिन पूर्व अपने खेत पर मेज लगाकर अपनी कृषि भूमि वर्णित वाद पत्र की खण्ड सं0–1 में खेत को समतल कर रहा था कि अचानक प्रतिवादीगण सं०–1 लगायत 41 हाथो में फावडे गैंती लेकर वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि पर आकर एलानियां धमकी दी व वादी को उसकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर आषाढ में फसल नहीं डालने देने व जबरन वादी को बेदखल करे खुद कब्जा काश्त करेगे व वादी व उसके परिवारजन को जबरन बेदखल करेगे वादी ने व उसी पत्नी ने प्रतिवादीगण को कैसे जैसे रोका व आस पडौस वालो को बुलाकर समझाईश कि तो वे मान गये तथा जाते जाते एलानियां धमकी देकर गये कि वे आगामी बारिस में वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे बेदखल करेगे कानून उनका कुछ नहीं बिगाड सकता है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक आया है।

5 यह है कि प्रतिवादीगण धनबल वाले व संख्या बली में अधिक व्यक्ति है जो वादी के विरूद्ध नाजायज संगठन बना रखा है व आये दिन वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि सींव डोल को लेकर मजाहमत पैदा करते है जिसके संबंध में 107, 116 सीआरपीसी के तहत पेश किया एवं प्रतिवादीगण वादी को बैदखल कर खुद कब्जा करने की धमकी देने से यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। इस प्रकार वादी के

उपखण्ड अधिकारी

द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1424/1/0.10, 1438/0.25, 1439/0.14, 1442/0.23, 1455/0.25, 1458/0.26 1462/0.09, कुल किता–7 रकबा 1.32 है० वाकै ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के खेत की सींव डोल को जबरन नहीं तोडे वादी को व उसके परिवारजन को सदैव की भंति आकराजी मुतानाजा पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करने देवे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 से 41 की से श्री अरविन्दकुमार एडवोकेट ने अण्डर टेंकिंग दी लेकिन कोई वकालतनामा पेश नहीं किया गया । प्रतिवादी सं0 26, 32, 40 की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया लेकिन दिनांक 28.11.22 को प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं करना जाहिर किया तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें । इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

प्रकरण में वकील वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में वादी की ओर से स्वंय के शपथ पत्र तथा गवाह रामचन्द्र पुत्र भूराराम गुर्जर के शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में पेश किये गये । वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया । हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज है एवं वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श संख्या – 1 व 2 से बखूबी साबित होती है। वादीगण अपने वाद को साबित करने में सफल रहे है। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादी का दावा विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि आराजी खसरा नं1424/1/0.10, 1438/0.25, 1439/0.14, 1442/0.23, 1455/0.25, 1458/0.26 1462/0.09, कुल किता–7 रकबा 1.32 है० वाकै ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि से अथवा भूमि के किसी भाग से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे और ना ही वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत पैदा करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 8/5/2025 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा, जिला जयपुर,

मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र – 5